

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञापित

निदेशक अभियोजन (विज्ञापन संख्या-19/2011) के पद पर नियुक्ति हेतु सूचना।

गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत निदेशक, अभियोजन के एकल पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं०-19/2011 के आलोक में वैसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन समर्पित किया था, विज्ञापन में प्रावधानित विधि व्यवसायी (Prosecution Lawyer) के रूप में लगातार 15(पंद्रह) वर्षों तक कार्य करने का अनुभव के संबंध में संबंधित जिला/अनुमंडल बार एसोसिएशन अथवा संबंधित लोक अभियोजक के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित जिला दण्डाधिकारी अथवा संबंधित उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित महाधिवक्ता द्वारा निर्गत/प्रदत्त अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिनांक-11.09.2015 के संध्या-05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से अथवा हाथों-हाथ अवश्य उपलब्ध करा दें।

2. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अनुभव प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या-19/2011 एवं पद का नाम-निदेशक अभियोजन** अनिवार्य रूप से अंकित करें, अन्यथा इसके अभाव में लिफाफ को खोला नहीं जा सकेगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची